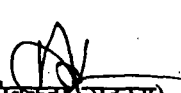


2

Date of Order of Proceeding	ORDER SHEET (CONTD) श्रीमान सी.एम.उपाध्याय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम-2003 न्यायालय मऊगंज जिला-रीवा (म.प्र.) विशेष प्रकरण क्र.: - <u>1/18-6-3-18</u> अपराध दिनांक: - <u>28/12-4-2-12</u> <u>चलना दिनांक - 10-11-16</u> म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.(संचा/संधा) मऊगंज संभाग जिला रीवा विरुद्ध <u>संतोष पंडे</u> धारा 135/138 वि.अधि 2003	Signature of parties or pleaders where necessary
	ORDER OF PROCEEDING WITH SIGNATURE OF PRESIDING OFFICER	
8/18	आज दिनांक को विशेष विद्युत प्रकरण क्रमांक <u>1/18-6-3-18</u> नेशनल/स्थायी निरंतर लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री <u>पंडे उपाध्याय</u> उपस्थित आरोपी सहित/आरोपी द्वारा <u>संतोष पंडे</u> उपस्थित आरोपी के विरुद्ध परिवादी के द्वारा धारा 135/138 विद्युत अधिनियम 2003 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत है। <u>अप उपा 99-3-9101706</u> परिवादी की ओर से आज दिनांक को एक आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नेशनल/स्थायी निरंतर लोक अदालत की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के आधार पर परिवादी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार निर्धारण/ब्याज की सम्पूर्ण राशि म.प्र.शासन भोपाल एवं पूर्व क्षेत्र वि.वि.क.लि. जबलपुर के द्वारा जारी किये गये पत्र/परिपत्र दिनांक 18.06.20018 एवं 08.08.2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आरोपी को छूट प्रदान कर दी गई है, जिसका परिवादी के कार्यालयीन दस्तावेजों में समायोजन हो चुका है। जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस कारण परिवादी उक्त प्रकरण की कार्यवाही को अब न्यायालय में आगे जारी नहीं रखते हुये वापस लेना चाहता है। यह आवेदन सद्भाविक एवं वैधानिक है, तथा दुरभिसंधिपूर्ण नहीं है। उक्त आधार पर आरोपीगण को डिस्पार्च करने का निवेदन किया गया है। आवेदन पर सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया विचारोपरान्त आरोपी के विरुद्ध परिवादी के द्वारा यह परिवाद धारा 135/138 विद्युत अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है। परिवादी का आवेदन पत्र सद्भावना पर आधारित होना प्रतीत होता है। तथा निर्धारण एवं ब्याज की सम्पूर्ण राशि की छूट दी जा चुकी है। जिसका परिवादी के कार्यालयीन दस्तावेजों में समायोजन हो जाना भी बताया गया है। परिवादी के अधिवक्ता को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 153 के अर्न्तगत लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। उक्त आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी तथा प्रकरण के लोग अभियोजक द्वारा विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है। इसलिये परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि अनुसार होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रकरण में आरोपी को उक्त अपराध से दोषमुक्त/उन्मोचित किया जाता है। आरोपी द्वारा निष्पादित जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाते हैं। आरोपी का यदि गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो अदम् तामील तत्काल वापस बुलाया जावे। प्रकरण की परिणाम दर्ज कर संचित अभिलेखागार हो।  (सामाजिक सदस्य)  (अधिवक्ता/सदस्य) सी.एम.उपाध्याय विशेष न्यायाधीश वि.अधि-2003 पीठपीठ अधिकारी लोक अदालत खण्ड पीठ क्र. मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)	